न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—182 / 2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

शंकरलाल पुत्र श्री गुलाराम
जाति नाई, निवासी भीमसागर
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

श्रीमान् तहसीलदार
ओसियां

प्रार्थीगण की ओर से :— अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांक:— 31/10/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:— प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 115 बीघा 01 बिस्वा ग्राम भीमसागर तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। जो पूर्व में मेरे पिता श्री गुला पुत्र श्री हीरा के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम दो बार दर्ज कर दिया गया। जबकि शंकर नाम का गुलाराम के एक ही पुत्र है तथा प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल पुत्र श्री गुलाराम है, जिसके स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश शंकर पुत्र गुला दर्ज कर दिया गया। मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूलवश प्रार्थी का नाम दो बार दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी उसी अनुसार दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दो बार दर्ज होने के कारण सभी खातेदारान का हिस्सा भी प्रभावित हो रहा है तथा प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवाने व ऋण इत्यादि लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का दो बार दर्ज नाम में से एक नाम हटाये जाने किसी अन्य खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 115 बीघा 01 बिस्वा ग्राम भीमसागर तहसील ओसियां जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दो बार दर्ज नाम शंकर में से एक नाम हटाया जाकर प्रार्थी का नाम शंकर पुत्र गुला के स्थान पर शंकरलाल पुत्र श्री गुलाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें जाहिर किया गया कि गुलाराम पि. हीराराम के चार पुत्र घेवरराम, मुलतानाराम, पूनाराम व शंकरलाल ही है अन्य कोई पुत्र नहीं है तथा मौके पर 1/8 हिस्से की भूमि पर गुलाराम के चार पुत्रों घेवरराम, मुलतानाराम, पूनाराम व शंकरलाल का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 115 बीघा 01 बिस्वा ग्राम भीमसागर तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में घेवर, शंकर, मुल्तान, पूना, शंकर पि. गुला के स्थान पर घेवरराम, शंकरलाल, मुल्तानराम, पूनाराम पि. गुलाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 31/10/12 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner